गोरखनाथ (भा0प्र0से0)
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

बिहार सरकार

आयुक्त कार्यालय,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया
फोन नं0- 06454-243199 (O)
241899 (F)
ईमेल आई0डी0-divcom-purnea-bih@nic.in

पत्रांकः 2612 दिनांकः 08/08/22

....

प्रेषक,

आयुक्त,
पूर्णियॉ प्रमंडल, पूर्णियॉ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियॉ/कटिहार/अररिया/किशनगंज।

विषय :– **जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के नियमों के विरूद्ध संचालित अस्पतालों एवं गैर निबंधित नर्सिंग होम/क्लिनिक/ डैगनोस्टिक सेन्टर/लैबोरेट्री एवं जाँच घर आदि के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने के सबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि लोक शिकायत एवं जन शिकायत के माध्यम से ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि इस प्रमंडलातंर्गत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के नियमों के विरूद्ध तथा BIHAR CLINICAL ESTABLISHMENT ACT 2010 एवं 2013 के तहत बिना निबंधित हुये अस्पताल/नर्सिंग होम/क्लिनिक/डैगनोस्टिक सेन्टर/लैबोरेट्री आदि स्थापित कर गैर–एम.बी.बी.एस व्यक्तियों या PARA MEDICAL कर्मियों द्वारा रोगियों का ईलाज किया जा रहा है, यह भी पाया गया है कि इन व्यक्तियों द्वारा ऑपरेशन भी किये जा रहे हैं, जो न्यायोचित नहीं है। ऐसे फर्जी संस्थानों के विरूद्ध सम्यक कार्रवाई करने का निदेश राज्य सरकार से भी समय–समय पर प्राप्त होते रहे हैं पर संबंधित सिविल सर्जन–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा इस मामले में समुचित कर्रावाई नहीं की जा रही है जिसके कारण आम जनता को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है।

2. उपर्युक्त वर्णित स्थिति में ऐसे फर्जी संस्थानों पर रोक लगाये जाने हेतु निम्नवत् कार्रवाई की जायः–

(i) संबंधित जिले के सिविल सर्जन–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अपने अधीनस्थ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों के माध्यम से जाँच कर ऐसी सूची तैयार करा लेंगे तथा उन संस्थानों के संचालकों को उसे बंद किये जाने हेतु संसूचित करेंगे।

(ii) उक्त सूची के आधार पर संबंधित प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकरी अपने क्षेत्राधीन फर्जी संस्थानों के विरूद्व आवश्यकतानुसार प्राथमिकी दर्ज करायेंगे तथा इसे सीलबंद करेंगे। इस कार्य में संबंधित थानाध्यक्ष समुचित सहयोग देंगे।

(iii) संबंधित अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंड़ल पुलिस पदाधिकारी ऐसे संस्थानों को बंद कराने हेतु प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/ थानाध्यक्षों के बीच समुचित समन्वय स्थापित कर अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(iv) जिले के सिविल सर्जन–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी मासिक रूप से जिले में भी इसकी समीक्षा करेंगे तथा नियमानुसार सम्यक कार्रवाई करेंगे।

(v) जिला पदाधिकारी द्वारा जिले में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में भी इसकी समय–समय पर समीक्षा कर इसका अनुपालन कराया जायगा।

3. अनुरोध है की उपर्युक्त दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाय एवं कृत कार्रवाई से अवगत कराने की कृपा जाय।

विश्वासभाजन

8/8/22

आयुक्त,
पूर्णियॉ प्रमंडल, पूर्णियाँ